Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर का बाबू (कनिष्ठ सहायक) 20 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी**

जयपुर, *11 नवम्बर*। ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर ए.सी.बी. की जयपुर ग्रामीण ईकाई द्वारा आज गुरूवार को कार्यवाही करते हुये जितेन्द्र कुमार व्यास कनिष्ठ सहायक, कार्यालय तहसीलदार, तहसील शाहपुरा जिला जयपुर को परिवादी से 20 हजार रुपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की जयपुर ग्रामीण ईकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि प्रशासन गांव के संग अभियान के दौरान उसकी भूमिं को आबादी में रूपातंरित करने के लिए तहसीलदार शाहपुरा के बाबू जितेन्द्र कुमार व्यास द्वारा 25 हजार रूपये रूपान्तरण फीस व 40 हजार रूपये रिश्वत के कुल 65 हजार रूपयों की मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी की जयपुर ग्रामीण इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री नरोत्तम वर्मा** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज **श्री संजय कुमार उप अधीक्षक पुलिस** के नेतृत्व में टीम द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुये प्रशासन गांव के संग अभियान के दौरान ग्राम चिमनपुरा तहसील शाहपुरा में जितेन्द्र कुमार व्यास पुत्र बंशीधर शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी भैरू कॉलोनी शाहपुरा जिला जयपुर। हाल कनिष्ठ सहायक कार्यालय तहसीलदार, तहसील शाहपुरा जिला जयपुर को **20 हजार रुपये की रिश्वत** लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। **उल्लेखनीय है कि आरोपी द्वारा प्रशासन गावों के संग अभियान में ग्राम पंचायत चिमनपुरा में समस्त प्रशासनिक अमले के उपस्थित होते हुए भी रिश्वत के 20 हजार रूपये परिवादी से वसूल कर लिये।**

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपी के आवास एवं अन्य ठिकानों की ए.सी.बी. टीमों द्वारा तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।